योजना का नाम :— जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक में रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 कि0मी0) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (आरक्षित वनभूमि 0.647 है0 तथा सिविल सोयम भूमि 0.367 है0 कुल प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल 1.014 है0)।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- रौतू की बेली तहसील :- धनोल्टी, जिला टिहरी गढवाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार परियोजना के निर्माण हेतु 0.647 है0 आरक्षित वन भूमि 0.0367 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.014 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौतू की बेली द्वारा दिनांक 31-12-2014 को सम्पन्न उपरोक्त ग्रम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापित्त प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपित्त नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक <u>31-12-201</u>4को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्0सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	राजाणा
1	-st manth &	हस्ताक्षर
2	रा जागवासह	V131 111119
3	11 नियस्त्रियारातिह प्रवा	- Paran-
4	11 12401411618	19
5	" THE SINGER "	2121/12
6	11 29 नीर मिंह मिगामार्शिह	130120012
7	11 31 2-4 GE Sudisibe	7 11 6
8	1) विलान विह	inen sineh
9	, बेमवासिंह	Zna (At
10	1) वोकमापृष्ट	
11	1) YAIVE	Fried One
12	11 24241 (48	
13	1, र्युमन पिष्टं	(मुक्तनामें)
14		31111218
15		



प्रपत्र - 23.2

योजना का नाम :— जनपद टिहरी गढवाल के विधानसमा क्षेत्र धनोल्टी विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (कि0मी0 2.00 तक)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी धनोल्टी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण —पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति धनोल्टी

उपखण्ड धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग निर्माण (0.647 हैं0 आरक्षित वनभूमि 0.367 हैं0, सिविल एवं सोयम भूमि 0.00 हैं0 वन पंचायत भूमि कुल वनभूमि 1.014 हैं0) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनोल्टी) के दिनांक १/১/३०/६ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवानन्द शर्मा, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थित निम्नानुसार है :--

411,1111	4, (14,41 41 011 111 11 11 11		
1.	श्री देवानन्द शर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री नीरज कुमार शर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3	श्री शूरवीर सिंह नेगी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	संदर्य / सचिव
4.	श्री कुंवर सिंह पंवार	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग निर्माण परियोजना हेतु 1.014 हैं0 वनभूमि लोठनिठविठ थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करतें हुए



जानकारी कर माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसमा/पंचायत द्वारा अनापित जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापित जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.014 हैं0 वनभूमि लोठनिठविठ थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जर्म जिल्लामिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तुरीय नेत अधिकार समिति तहसील धनोल्टी जनपद टिहरी, गढवाल।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील धनोल्टी जनपद टिहरी गढवाल।

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक में रौतू की बेली से चलीघार मोटर मार्ग का निर्माण।

उप जिला अधिकारी द्वार प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक में रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 1.014 हैं0 वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोठनिठिवंठ थत्यूड प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एस०सीठि दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओठएफ०सीठि केबिल पाईप लाईनि बिछाने आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० थत्युड (टि०ग०)

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० अत्यूड (टि०ग०) तहसीलदार धनोल्टी

ए उपजिलाधिकारी उप जिल्लाहितारी

विहरी गढ़दाल

It is Further certified that Minutes fo meeting of Rautu Ki Beli to Chalidhar Motor Road scheme regarding FRA is as following.

Sl. No.		Remark	
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had	1.	
	been carried out for the entire 1.014	and other traditional forest Dwellers.	
	hectares of forest area proposed for		
	diversion. A copy of record of all		
	consultations and meeting of the forest		
	Right committee (S) Gram Sabha sub		
	Division Level committee (S) and District	1,0	
	Level Committee are enclosed as annexure.	a theory to a	
(b)	The Diversion of forest land for facilities	Yes copy of records attached as there are	
	managed by the Government as required	no habitants belonging to scheduled tribes	
	under section 3(2) of the FRA have been	and other traditional forest Dwellers. No	
	completed and the Gram Sabha have given	objection cerfificate concerned village	
	consent to it.	regarding construction of aforesaid Motor road is attached.	
(c)	The proposal does not involve recognized	Yes copy of records attached as there are	
	rights of primitive tribal groups and pre-	no habitants belonging to scheduled tribes	
	agricultural communities.	and other traditional forest Dwellers.	

जिला पंचायत सदस्य

पर्गिर्मूरी • श्रमग्रामारी मसूरी।

(बुगल बिम्शोर पम्त्र) जित्ता उत्तिसकारी टिक्करी मस्वतसम

OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL UTTRAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule Tribes & Other Traditional Fores Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District Constituted under FRA 2006 wad held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in Which the applicant claiming rights in Jaunpur Block area measuring 1.014 Hectare for the costruction of Rautu Ki Beli to Chalidhar Motor Road in Tehsil Dhanolty of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level committee recommended the above case for diversion for diversion for the said purpose.

Place - Tehri

District Collector Cum Chairman District Tehri Garhwal



FORM-4

(For Liner Projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector New Tehri

	Dated 16:2:2015
No	

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.014 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of forest department (name of user agency) for Rotu ki Beli to Chalidhar Motor Road Scheme (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Rotu ki Beli village (s) in Dhanolty Tehsils.

It is further certified that.

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.014 Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of (a) records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed in
- The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their (b)

The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-(c) agricultural communities.

Enclosure. As above

Executive Engineer. Ty Div.PWD Thatyur

Tehsildar Dhanolty THE POST OF **Eleban**blty हरी∕ गढदाल टिहरी गढवाल